रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 570] नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 7, 2014/कार्तिक 16, 1936
No. 570] NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 7, 2014/KARTIKA 16, 1936

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 07 नवम्बर, 2014

सं. 102/2014-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि.776(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 77/2014-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 16 सितम्बर, 2014, जो सा.का. नि. संख्या 654 (अ) के अन्तर्गत दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की तालिका में:-

(i) क्र.सं. 14 में, कॉलम (2) में ''मुख्य आयुक्त'' शब्दों के स्थान पर ''प्रधान मुख्य आयुक्त'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्र.सं. 15 में, कॉलम (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगीं, अर्थात्:-

''मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पादशुल्क, भुबनेश्वर''

[फा.सं. 437/48/2014- सीमा शुल्क IV]

आर.पी. सिंह, निदेशक

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 77/2014- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 16 सितम्बर, 2014, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 654 (अ), दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के तहत् प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 07th November, 2014

No. 102/2014-Customs (N.T.)

G.S.R. 776(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance No. 77/2014-Customs (N.T.), dated the 16thSeptember, 2014, published vide number G.S.R. 654 (E), dated the 16th September, 2014, namely:-

In the Table to the said notification,-

(i) against serial number14, in column (2), for the words "Chief Commissioner", the word "Principal Chief Commissioner" shall be substituted;

(ii) against serial number 15, for the entries in column (2), the following entries shall be substituted, namely:-

"Chief Commissioner of Customs and Central Excise, Bhubaneswar.".

[F. No. 437/48/2014- Cus IV]

R.P.SINGH, Director

Note : The principal notification No. 77/2014-Customs (N.T.), dated the 16th September, 2014 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 654 (E), dated the 16th September, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 07 नवम्बर, 2014

सं. 103/2014-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि.777(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 78/2014-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 16 सितम्बर, 2014, जो सा.का. नि. संख्या 655 (अ) के अन्तर्गत दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की तालिका में:-

(i) क्र.सं. 1, में कॉलम (2) में "और उत्तर प्रदेश राज्य का न्यू औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण विशेष आर्थिक जोन" शब्द विलोपित किए जाएंगे;

(ii) क्र.सं. 14, में कॉलम (2) में मद सं. (i) में "जलपाईगुड़ी" शब्द के पश्चात "अलीपुरद्वार" शब्द को अन्त:स्थापित किया जाएगा;

(iii) क्र.सं. 32, में कॉलम (2) की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात:-

''उत्तर प्रदेश राज्य में गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर, बुलंदशहर जिले और न्यू औखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण विशेष आर्थिक जोन''।

[फा.सं. 437/48/2014- सीमा शुल्क IV]

आर.पी. सिंह, निदेशक

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 78/2014- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 16 सितम्बर, 2014, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 655 (अ), दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के तहत् प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th November, 2014

No. 103/2014 - Customs (N.T.)

G.S.R. 777(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance No.78/2014-Customs (N.T.), dated the 16th September, 2014, published vide number G.S.R. 655(E), dated the 16th September, 2014, namely:-

In the Table to the said notification,-

(i) against serial number 1, in column (2), the words "and the New Okhla Industrial Development Authority Special Economic Zone in the State of Uttar Pradesh" shall be omitted;

(ii) against serial number 14, in column (2), in item (i), after the word "Jalpaiguri", the word "Alipurduar" shall be inserted;

(iii) against serial number 32, in column (2), for the entries, the following entries shall be substituted, namely:-

"The Districts of Ghaziabad, Gautam Budh Nagar, Bulandshahr and the New Okhla Industrial Development Authority Special Economic Zone in the State of Uttar Pradesh.".

[F. No. 437/48/2014- Cus IV]

R.P.SINGH, Director

Note : The principal notification No. 78/2014-Customs (N.T.), dated the 16th September, 2014 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 655 (E), dated the 16th September, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 07 नवम्बर, 2014

सं. 104/2014-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि.778(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्द्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व

विभाग) की अधिसूचना सं. 79/2014-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 16 सितम्बर, 2014, जो सा.का. नि. संख्या 656 (अ) के अन्तर्गत दिनांक 16 सितम्बर, 2014 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना की तालिका में:-

क्र.सं. 1, के कॉलम (3) में, मद सं. (vii) और इससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित मद और प्रविष्टियों को अन्त:स्थापित किया जाएगा अर्थात्:-

''(viii) सीमाशुल्क आयुक्त (निवारक), दिल्ली''

[फा.सं. 437/48/2014- सीमा शुल्क IV]

आर.पी. सिंह, निदेशक

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 79/2014- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 16 सितम्बर, 2014, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 656 (अ), दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के तहत् प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 07th November, 2014

No104/2014 - Customs (N.T.)

G.S.R.778(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance No. 79/2014-CUSTOMS (N.T.), dated the 16thSeptember, 2014, published vide number G.S.R. 656 (E), dated the 16thSeptember, 2014, namely:-

In the Table to the said notification, against serial number 1, in column (3), after item (vii) and the entries relating thereto, the following item and entries shall be inserted, namely:-

"(viii) Commissioners of Customs (Preventive), Delhi.".

[F. No. 437/48/2014- Cus IV]

R.P.SINGH, Director

Note: The principal notification No. 79/2014-CUSTOMS (N.T.), dated the 16th September, 2014 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 656 (E), dated the 16th September, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 नवम्बर, 2014

सं. 105/2014-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि.779(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पादशुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 83/2004-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 जून, 2004, जो सा.का. नि. संख्या 393 (अ) के अन्तर्गत दिनांक 30 जून, 2004 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, क्र.सं. (2) और इससे सम्बद्ध प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

''(2) केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमावली, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत यथाविनिर्दिष्ट अपने- अपने क्षेत्राधिकार के अन्दर केन्द्रीय उत्पादशुल्क आयुक्त, सीमाशुल्क आयुक्त होगें''।

[फा.सं. 437/48/2014- सीमा शुल्क IV]

आर.पी. सिंह, निदेशक

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 83/2004- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 30 जून, 2004, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 393 (अ), दिनांक 30 जून, 2004 के तहत् प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं. 85/2014-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के अन्तर्गत सा.का.नि. सं. 662(अ) दिनांक 16 सितम्बर, 2014 के तहत अंतिम बार संशोधित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 07th November, 2014

No.105/2014 - Customs (N.T.)

G.S.R.779(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance No. 83/2004-Customs (N.T.), dated the 30th June 2004, published vide number G.S.R. 393 (E), dated the 30thJune 2004, namely:-

In the said notification, for serial number (2) and the entries relating thereto, the following shall be substituted, namely:-

"(2) the Commissioners of Central Excise to be Commissioners of Customs within their respective jurisdiction as specified under rule 3 of the Central Excise Rules, 2002;".

[F. No. 437/48/2014- Cus IV]

R.P.SINGH, Director

Note : The principal notification No. 83/2004-Customs (N.T.), dated the 30th June, 2004 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R 393 (E), dated 30th June 2004 and last amended vide notification No. 85/2014-Customs (N.T.), dated the 16th September, 2014 vide number G.S.R. 662 (E), dated the 16th September, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, दिनांक 07 नवम्बर, 2014

सं. 106/2014-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि.780(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 132/2009-सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 9 सितम्बर, 2009, जो सा.का. नि. संख्या 652 (अ) के अन्तर्गत दिनांक 9 सितम्बर, 2009 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में खंड (i) में उपखंड (क) में ''जलपाईगुड़ी'', शब्द के पश्चात ''अलीपुरद्वार'' शब्द अन्त:स्थापित किया जाएगा;

[फा.सं. 437/48/2014- सीमा शुल्क IV]

आर.पी. सिंह, निदेशक

नोट : प्रधान अधिसूचना सं. 132/2009- सीमा शुल्क (गै.टे.), दिनांक 9 सितम्बर, 2009, भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (i) में सा.का.नि. 652 (अ), दिनांक 9 सितम्बर, 2009 के तहत् प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 07th November, 2014

No. 106/2014-Customs (N.T.)

G.S.R.780(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India, Ministry of Finance No.132/2009-Customs (N.T.), dated the 9th September, 2009 published vide number G.S.R. 652 (E), dated the 9th September, 2009, namely:-

In the said notification, in clause (i), in sub-clause (a), after the word "Jalpaiguri", the word "Alipurduar" shall be inserted.

[F.No. 437/48/2014- Cus IV]

R. P. SINGH, Director

Note : The principal notification No. 132/2009-Customs (N.T.), dated the 9th September, 2009 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 652 (E), dated the 9th September, 2009.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 07 नवम्बर, 2014

सं. 107/2014-सीमाशुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि.781(अ).—सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड, एतद्वारा, प्रधान मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पादशुल्क अथवा मुख्य आयुक्त, केन्द्रीय उत्पादशुल्क को, केन्द्रीय उत्पादशुल्क नियमावली, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत यथाविनिर्दिष्ट प्रधान आयुक्त, केन्द्रीय उत्पादशुल्क अथवा आयुक्त, केन्द्रीय उत्पादशुल्क के अधिकार क्षेत्र में आने वाले क्षेत्रों के संबंध में प्रधान मुख्य आयुक्त, सीमाशुल्क अथवा मुख्य आयुक्त सीमाशुल्क के रूप में नियुक्त करता है।

[फा.सं. 437/48/2014- सीमा शुल्क IV]

आर.पी. सिंह, निदेशक

NOTIFICATION

New Delhi, the 07th November, 2014

No107/2014-Customs (N.T.)

G.S.R. 781(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Board of Excise and Customs hereby appoints the Principal Chief Commissioner of Central Excise or Chief Commissioner of Central Excise to be the Principal Chief Commissioner of Customs or Chief Commissioner of Customs for the areas falling under the jurisdiction of Principal Commissioner of Central Excise or Commissioner of Central Excise as specified under rule 3 of the Central Excise Rules, 2002.

[F. No. 437/48/2014-Cus IV]

R.P.SINGH, Director

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.